राजस्व लोक अदालत केम्प वर्ष-2017

राजस्व लोक अदालत अभियान "न्याय आपके द्वार" वर्ष 2017

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सुमेरपुर, जिला पाली (राजस्थान)

राजस्व लोक अदालत केम्प–अटल सेवा केन्द्र धणा

पीठासीन अधिकारी– श्री विनोदकुमार मल्होत्रा, आर.ए.एस.

राजस्व वाद सं. 35/2011
दायरा तिथि 05.07.2011
निर्णय तिथि 29.05.2017

वादीगण–

1–सुखाराम पुत्र भगारामजी
2–चतराराम पुत्र भगारामजी
3–वेनी बेवा भगारामजी
तमाम जाति मेघवाल, निवासी दौलपुरा
तहसील सुमेरपुर

बनामः

प्रतिवादीगण–

1–मोहन पुत्र पोमाजी जाति मेघवाल
निवासी दौलपुरा तहसील सुमेरपुर
2–केसी बेवा सोमारामजी जाति मेघवाल
3–बंशीराम पुत्र वेनाजी जाति मेघवाल
निवासीगण बाबागांव तहसील सुमेरपुर

वादपत्र अन्तर्गत धारा 188 आर.टी.एक्ट,1955 एवं काउन्टर क्लेम (प्रतिवाद) अन्तर्गत धारा 88, 53, 188 आर.टी.एक्ट,1955

–: नि र्ण य :–

निर्णय तिथि 29.05.2017

उपरोक्त प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है–

(1) कि यह पत्रावली राजस्व लोक अदालत अभियान "न्याय आपके द्वार" वर्ष 2017 के दौरान केम्प–अटल सेवा केन्द्र धणा में बरोज आज पेश हुई। पक्षकारान उपस्थित। हमने, राजस्व लोक अदालत की भावना के तहत सुलभ न्याय दिलाए जाने हेतु पक्षकारों की दलील को सुना, साथ ही पत्रावली पर उपलब्ध तमाम रेकर्ड इत्यादि का अवलोकन व परीक्षण किया। फलस्वरूप प्रश्नगत मामले में वर्णित वाद–विषयक स्थिति अनुसार वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण के विरूद्ध वादपत्र अन्तर्गत धारा 188 आर.टी.एक्ट,1955 में प्रस्तुत कर इस आशय का निवेदन किया है कि सरहद मौजा दौलपुरा, पटवार सर्कल धणा, तहसील सुमेरपुर में स्थित वादग्रस्त कृषि भूमि हाल खसरा नं. 334 रकबा 0.73 हेक्टर किस्म बारानी अव्वल, खसरा नं. 335 रकबा 0.62 हेक्टर किस्म बारानी अव्वल व खसरा नं. 336 रकबा 0.72 हेक्टर किस्म बारानी अव्वल वादीगण की पुश्तैनी संयुक्त कब्जे काश्त की खातेदारी भूमि आयी हुई है जिसमें प्रतिवादीगण गैरकानूनी व अनाधिकृत रूप से जबरन कब्जा करने पर आमादा है जिससे वादीगण अपने विधिक हक–अधिकारों से महरूम हो जायेगा, जबकि उपरोक्त वर्णित वादग्रस्त कृषि भूमि गत् व हाल राजस्व रेकर्ड अनुसार वादीगण व उनके पूर्वज की खातेदारी चली आ रही है, मौके पर वादीगण का पुश्तैनी कब्जा काश्त शांति पूर्वक आज तक चला आ रहा है यानि कि वादग्रस्त कृषि भूमि के बारे में प्रथम दृष्ट्या मामला, सुविधा का संतुलन व असाध्य क्षति होने जैसे तीनों विधिक बिन्दु वादीगण के पक्ष में ही बनते है। इसलिए वादीगण का यह वादपत्र स्वीकार व डिक्री फरमाकर वादीगण की उल्लेखित पुश्तैनी संयुक्त कब्जे काश्त की वादग्रस्त खातेदारी कृषि भूमि में प्रतिवादीगण या उनके प्रतिनिधि किसी प्रकार से दखलंदाजी या हस्तक्षेप नहीं करे, इस अमर की स्थाई निषेधाज्ञा बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण के जारी फरमावे। वादीगण ने वादपत्र के साथ साक्ष्य–दस्तावेज क्रमशः जमाबंदी संवत् 2066–69 व नक्शा किश्तवार की प्रतियां पेश की है।

(2) कि प्रतिवादीगण ने जवाबदावा मय काउन्टर क्लेम (प्रतिवाद) अन्तर्गत धारा 88, 53, 188 आर.टी.एक्ट,1955 में प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम दौलपुरा में स्थित कृषि भूमि हाल खसरा नं. 334, 335, 336 व 314/387 कुल रकबा 2.47 हेक्टर वादीगण व प्रतिवादीगण की संयुक्त कब्जे काश्त की खातेदारी भूमि है यह भूमि प्रतिवादीगण को अपने पूर्वजों से प्राप्त हुई है, परन्तु राजस्व रेकर्ड में उक्त कृषि भूमि गलती से वादीगण के पिता भगाजी के नाम से दर्ज रहने से वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण के विरूद्ध यह वादपत्र

लगातार–2

उपखण्ड अधिकारी
सुमेरपुर (पाली)

Scanned by CamScanner

बद्नियति, मनमाने तरीके से, बिना सबूतों के झूठे तथ्यों के आधार पर पेश किया है जिसे मय खर्चा खारिज फरमावे, साथ ही प्रतिवादीगण का काउन्टर क्लेम (प्रतिवाद) अन्तर्गत धारा 88, 53, 188 आर.टी.एक्ट,1955 में स्वीकार व डिक्री फरमाकर ग्राम दौलपुरा में स्थित कृषि भूमि हाल खसरा नं. 334, 335, 336 व 314/387 कुल रकबा 2.47 हेक्टर के बारे में प्रतिवादीगण को भी खातेदार घोषित कर बंटवाडा करवाये जाने व प्रतिवादीगण के बंट–हिस्से की खातेदारी भूमि में वादीगण या उनके प्रतिनिधि किसी प्रकार से दखलंदाजी नहीं करे, इस अमर की स्थाई निषेधाज्ञा बहक प्रतिवादीगण विरूद्ध वादीगण जारी फरमावे। प्रतिवादीगण द्वारा काउन्टर क्लेम (प्रतिवाद) के साथ साक्ष्य–दस्तावेज क्रमशः छाया–चित्र, इस्तगासा अन्तर्गत धारा 107 सीआर.पी.सी., इस्तगासा प्रार्थना पत्र, मिलान क्षेत्रफल, जमाबंदी संवत् 2032–35, जमाबंदी संवत् 2016, खसरा गिरदावरी संवत् 2020–23 व मिलान क्षेत्रफल की प्रतिया पेश की है।

(2) कि प्रश्नगत् मामले में निम्नानुसार तनकियात बिन्दु सं.01 लगाय 03 कायम किए गये–

1– आया वादपत्र के पद सं.01 में वर्णित वादग्रस्त कृषि भूमि वादीगण की संयुक्त व कब्जा काश्त की खातेदारी भूमि होने से वादीगण, प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी है?....(वादीगण)

2– आया प्रतिवादीगण जवाददावा व काउन्टर क्लेम के आधार पर ग्राम दौलपुरा की वादग्रस्त कृषि भूमि पर प्रतिवादीगण का कब्जा काश्त होने से वे वादीगण के विरूद्ध खातेदारी घोषणा, बंटवाडा एवं स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के कानूनन अधिकारी है?....(प्रतिवादीगण)

3– अन्य सहायता ?

चूंकि यह पत्रावली शहादत वादीपक्ष हेतु विचारार्थ रहते इस आयोजित राजस्व लोक अदालत केम्प में प्रस्तुत होने पर एवं लोक अदालत की मंशा के अनुरूप पक्षकारों को सुलभ न्याय दिलाने के उद्देश्य से प्रश्नगत् मामले में पटवारी धणा व भू–अभिलेख निरीक्षक ढोला से वादग्रस्त कृषि भूमि के बारे में गत् व हाल राजस्व रेकर्ड एवं मौका स्थिति की जांच रिपोर्ट ली गई, जिसके अनुसार ग्राम दौलपुरा की जमाबंदी संवत् 2016 में गत् खसरा नं. 125 रकबा 10) बीघा किस्म बा.अ. भगा पुत्र सरूप कौम भांबी सा.देह को एलोटमेंट 10 साला संवत् 2018 से दर्ज है, जमाबंदी संवत् 2020–23 के खाता सं. 32 में एलोटी को गैरखातेदार दर्ज किया गया। गत् खसरा नं. 125 से हाल खसरा नं. 334, 335, 336 कुल रकबा 2.07 हेक्टर बने जो वर्तमान जमाबंदी संवत् 2070–73 के खाता सं. 134 के अनुसार एलोटी के वारिसान सुखाराम, चतराराम पि.भगाराम व वेनी बेवा भगाराम कौम मेगवंशी सा. देह खातेदार दर्ज है, परन्तु खसरा नं. 336 रकबा 072 हेक्टर पर मोहनलाल पुत्र पोमा व खसरा नं. 335 रकबा 0.62 हेक्टर पर केसी पत्नी सोमा, बंशीराम पुत्र वेना जाति मेघवाल द्वारा कब्जा कर देने से यह वाद उत्पन्न हुआ है तथा अस्थाई निषेधाज्ञा होने से लगभग 7 वर्षो से उक्त भूमि खाली पडी हुई है किसी प्रकार से कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है।

इस प्रकार प्रश्नगत् मामले में पटवारी धणा व भू–अभिलेख निरीक्षक ढोला से वादग्रस्त कृषि भूमि के बारे में गत् व हाल राजस्व रेकर्ड एवं मौका स्थिति से संबंधित प्रस्तुत तथाकथित जांच रिपोर्ट में उल्लेखित तथ्यों तथा पत्रावली पर उपलब्ध तमाम साक्ष्य–दस्तावेजात पर मनन व विचारण करने के पश्चात् हमने पाया है कि वादग्रस्त कृषि भूमि ग्राम दौलपुरा के गत् खसरा नं. 125 जिसके हाल खसरा नं. 334, 335, 336 कुल रकबा 2.07 हेक्टर गत् जमाबंदी 2016 से व हाल जमाबंदी संवत् 2070–73 तक अर्थात गत् व हाल राजस्व रेकर्ड अनुसार वादीगण व इससे पूर्व उनके पूर्वज भगाराम की एलोटमेंट सुदा कब्जे काश्त की खातेदारी दर्ज चली आ रही है और इसी आधारित तनकी बिन्दु सं. 01 व 02 में वर्णित तथ्य केवलमात्र वादीगण के पक्ष में साबित होते है, इसलिए उक्त दोनों तनकियात बिन्दु बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण के निर्णित किए जाते है, साथ ही तनकी बिन्दु सं.01 व 02 वादीगण के पक्ष में निर्णित होने से तनकी बिन्दु सं.03 को भी बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण के निर्णित की जाती है और इस आधारित विचारण पश्चात् हमारी विधिक राय है कि वादग्रस्त कृषि भूमि के बारे में वादीगण का कथित वादपत्र

लगातार–3

उपखण्ड अधिकारी
सुमेरपुर (पाली)

Scanned by CamScanner

कतिपय प्रावधान अन्तर्गत धारा 188 आर.टी.एक्ट,1955 के तहत स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्ति बाबत् विरूद्ध प्रतिवादीगण के स्वीकार एवं डिक्री किया जाना, साथ ही वादग्रस्त कृषि भूमि के बारे में प्रतिवादीगण का कथित काउन्टर क्लेम (प्रतिवाद) कतिपय प्रावधान अन्तर्गत धारा 88, 53, 188 आर.टी.एक्ट,1955 के तहत खातेदारी घोषणात्मक, बंटवाडा व स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्ति बाबत् विरूद्ध वादीगण के खारिज किया जाना उचित समझते है।

अतः उल्लेखित विश्लेषण व विवेचित तथ्यों के परिणातमः वादीगण का कथित वादपत्र कतिपय प्रावधान अन्तर्गत धारा 188 आर.टी.एक्ट,1955 के तहत विरूद्ध प्रतिवादीगण के स्वीकार एवं डिक्री किया जाकर सरहद मौजा दौलपुरा, पटवार सर्कल धणा, तहसील सुमेरपुर में स्थित वादीगण की संयुक्त कब्जे काश्त की खातेदारी वादग्रस्त कृषि भूमि हाल खसरा नं. 334, 335, 336 कुल रकबा 2.07 हेक्टर किस्म बारानी अव्वल में प्रतिवादीगण या उनके कोई भी प्रतिनिधि किसी प्रकार से दखलंदाजी या हस्तक्षेप नहीं करे, इस अमर की स्थाई निषेधाज्ञा बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण के जारी की जाती है, साथ ही ग्राम दौलपुरा में स्थित वादग्रस्त कृषि भूमि हाल खसरा नं. 334, 335, 336 व 314/387 कुल रकबा 2.47 हेक्टर के बारे में प्रतिवादीगण का कथित काउन्टर क्लेम (प्रतिवाद) कतिपय प्रावधान अन्तर्गत धारा 88, 53, 188 आर.टी.एक्ट,1955 के तहत विरूद्ध वादीगण के खारिज किया जाता है। पक्षकारान खर्चा अपना–2 वहन करे। माफिक निर्णय, डिक्री–पर्चा मुर्तिब हो।

यह निर्णय बरोज आज दिनांक 29.05.2017 को राजस्व लोक अदालत केम्प–अटल सेवा केन्द्र धणा में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सुमेरपुर (पाली)

Scanned by CamScanner